



पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
मंत्रालय भारत सरकार

(आईओसी/बीपीसी/एचपीसी)



संक्षण 5.0

उज्जवला केवाईसी आवेदन (काली स्थाही द्वारा बड़े अक्षरों में भरा जाना है। सभी फील्ड भरना अनिवार्य हैं।)

उपभोक्ता विवरण		प्रवासी:	हाँ	नहीं		
a) आवेदक का नाम सुश्री/श्रीमती (आधार के अनुसार)						
1	प्रथम नाम					
2	मध्य नाम					
3	अंतिम नाम					
4	आधार					
5	मोबाइल					
जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य			



इंडियनऑयल



भारत
पेट्रोलियम



हिन्दुस्तान पेट्रोलियम
एंटरप्राइज लाइन

अपनी तस्वीर
यहां लिपकारं

जन्म तिथि						
D	D	M	M	Y	Y	Y

b) एलपीजी केनेशन के लिए पता/संपर्क जानकारी								
1 पते का प्रमाण (पीओए) श्रेणी कोड*	P	O	A	मोबाइल				
2 मकान/फ्लैट, का नाम					मंजिल संख्या			
3 आवास परिसर/भवन					भूमि चिन्ह			
4 गली/सड़क का नाम					क्षेत्र/डाकघर			
5 शहर/कस्बा					का नाम			
6 गाँव/पंचायत					पिन कोड			
7 ब्लॉक/उप-जिला					ईमेल आईडी			
8 जिला								
9 राज्य								

c) राशन कार्ड/आवेदक के अलावा परिवार के सदस्यों को प्रमाणित करने वाले किसी भी अन्य राज्य विशिष्ट दस्तावेज के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी घरेलू सदस्यों का विवरण (साझा रसोई वाले आवास इकाई में एक साथ रहने वाले लोग शामिल हैं) / स्व धोषणा (केवल प्रवासी श्रमिकों के मामले में)					
क्र. सं.	आवेदक के साथ संबंध	नाम	लिंग (पुरुष/स्त्री)	आधार नंबर (आधार कार्ड की प्रति संलग्न करें)	आधार का उपयोग करने की सहमति के लिए हस्ताक्षर
1					
2					
3					
4					
5					

d) मेरे बैंक खाते का विवरण (पासबुक/बैंक स्टेटमेंट/रद्द चेक की प्रति संलग्न करें जिसमें खाताधारक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड मुद्रित हो)						
1 बैंक खाते में नाम						
2 बैंक का नाम						
3 शाखा का नाम				4. आईएफएससी कोड		
5 बैंक खाता संख्या						

e) राशन कार्ड/परिवार के सदस्यों के विवरण/स्व धोषणा (प्रवासियों के मामले में) को प्रमाणित करने वाला कोई अन्य राज्य विशिष्ट दस्तावेज (राशन कार्ड/राज्य विशिष्ट दस्तावेज/अनुलग्नक-1 की एक प्रति संलग्न करें (प्रवासियों के मामले में)						
1 जारीकर्ता राज्य						
2 राशन कार्ड संख्या/राज्य विशिष्ट दस्तावेज संख्या						
f) केवाईसी के साथ संलग्न लाभार्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित 14 सूची धोषणा		हाँ		नहीं		
g) प्रवासी प्रमाणन (अनुबंध - I)		हाँ		नहीं		

उपकरण चयन (उपयुक्त बॉक्स/बक्सों को चिह्नित करें)						
1 वांछित एलपीजी सिलेंडर का प्रकार (वांछित उपकरण का चयन करें)	5 किग्रा सिलेंडर	14.2 किग्रा सिलेंडर				
2 वांछित चूल्हे का प्रकार	1 - चूल्हा	2 - चूल्हा				

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का विवरण

अ) प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत तेल विवरण

कंपनियों (आएमसी) द्वारा गरीबी रेखा से नीचे

(बीपीएल) परिवारों की महिलाओं को मुफ्त

एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं।

ब) यह योजना सिलेंडर की सुरक्षा जमा की लागत, दबाव नियमक, डीजीसीसी की लागत, सुरक्षा नली और स्थापना और प्रशासनिक शुल्क को कवर करने के लिए नकद सहयोग प्रदान करती है। इसके अलावा, लाभार्थी को हाउट प्लेट और पहला एलपीजी रिफिल भी दिया जाएगा।

क) आपके घर में पीडीएस एलपीजी कनेक्शन के न होने के सफल सत्यापन और पुष्टि पर, लागू नियमों और शर्तों के अधीन आपको एलपीजी कनेक्शन जारी किया जा सकती है।

*पीओए दस्तावेजों की सूची

आधार (यूआईडी)-POA01 | पासपोर्ट-POA02

पासबुक/बैंक स्टेटमेंट-PO-03

राशन कार्ड/एनएफएस कार्ड-POA04

ड्राइविंग लाइसेंस-POA05 | मतदाता पहचान पत्र-POA06

पासबुक/डाकघर खाता विवरण-POA07

पानी का बिल (पिछले 3 महीनों में जारी)-POA08

बिजली बिल (पिछले 3 महीनों में जारी)-POA09

संपत्ति कर रखीद (पिछले 1 वर्ष में जारी)-POA10

बीमा पॉलिसी-POA11

लेटरहेड पर हस्ताक्षरित पत्र जिसमें बैंक द्वारा जारी की

गयी फोटो हो- POA12

फोटो आईडी जिसमें पता/हस्ताक्षरित पत्र हो जिसमें

किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी किया

गया फोटो हो- POA13

शर्क लाइसेंस-POA14

एसएसएलसी बुक जिसमें फोटोग्राफ-POA15 शामिल है

नरेंगा जॉब कार्ड-POA16 | स्वतंत्रता सेनानी कार्ड-POA17

भामाशाह कार्ड/जन आधार कार्ड-POA18

किसान पासबुक-POA19

पंचीकृत पट्टा/बिक्री/किराया समझौता-POA20

डाक विभाग ने फोटोग्राफ युक्त पता कार्ड जारी किया-POA21

राज्य सरकार ने जारी किया जाति और निवास प्रमाण पत्र जिसमें

फोटो-POA22 शामिल है

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों/प्रशासनों ने विकलांग चिकित्सा

प्रमाण पत्र या विकलांगता आईडी कार्ड-POA23 जारी किया

सरकार ने विवाह प्रमाणपत्र जारी किया जिसमें पता-POA24.

शामिल है

स्व-धोषणा (केवल प्रवासियों के लिए) POA25

प्रिय लपीजी वितरक,

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी आयु वर्ष, निवासी

.....अपने नाम पर घरेलू एलपीजी कनेक्शन लेना चाहता हूँ और निम्नानुसार पुष्टि करता हूँ

- य) मैं यहाँ पुष्टि करता हूँ कि, इस फॉर्म में दी गई जानकारी सही है और कुछ भी नहीं छुपया गया है और मैं समझता हूँ कि, झूठी जानकारी, यदि कोई हो तो भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय है।
- र) मैं आईओसी/एचपीसी/बीपीसी/एमओपी एंड एन्जी को किसी भी देरी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/मेरे बैंक खाते के परिवर्तन/बंद/निष्क्रिय होने के मामले में/बैंक एनएसीएच में नहीं हैं या बैंक द्वारा किसी भी अस्वीकृति या किसी भी जानकारी की गैर-गोपनीयता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- ल) उपरोक्त जानकारी में किसी भी संशोधन/परिवर्तन के मामले में, मैं एलपीजी वितरक को सूचित करूँगा।
- व) मैं अपनी तेल कंपनी/मेरे बैंक को डी-डुल्टीकेशन/प्रमाणीकरण/सत्यापन उद्देश्यों के लिए अपने और अपने परिवार के सदस्य आधार संख्या/जनसांख्यिकीय डेटा/बैंक खाते के विवरण को अपने बीच और बाहरी एजेंसियों के साथ अपडेट/साझा करने के लिए अधिकृत करता हूँ।
- श) एलपीजी की आपूर्ति और वितरण से संबंधित सरकारी विनियमों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, आईओसी/बीपीसी/एचपीसी मुझे एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति बंद करने, सुरक्षा जमा को जब्त करने, हॉट प्लेट सहित उपकरणों को वापस लेने और नीति अनुसार दंडात्मक शुल्क लगाने के अपने अधिकार के भीतर होगा और दिशानिर्देशों एवं प्रावधानों के तहत लागू कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं।
- ष) मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और भारत में रहता हूँ।
- स) कि मेरी जन्म तिथि है (18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को एलपीजी कनेक्शन प्रदान नहीं किया जा सकता है)
- ह) न तो मैं, और न ही घर के किसी अन्य सदस्य (परिवार का अर्थ है एक परिवार सिमें सभी सदस्य परिवार संरचना कार्ड में एक साथ रहे हैं, जिसमें एक आम रसोई है) के पास पीएसयू तेल कंपनियों या पाइप्ड प्राकृतिक गैस कनेक्शन से कोई एलपीजी कनेक्शन है। हमारे आवास इकाई में घरेलू उपयोग के लिए। ('परिवार' जिनके पास पाइप से प्राकृतिक गैस कनेक्शन है, वे सबसिंही वाले एलपीजी के पात्र नहीं हैं।)
- इ) मैं पुष्टि करता हूँ कि मुझे जारी किए गए एलपीजी कनेक्शन का उपयोग मेरे उपरोक्त पते पर और केवल घरेलू खाना पकाने के उद्देश्य के लिए किया जाएगा और मैं इसके उपयोग को नियंत्रित करने वाली सभी शर्तों का पालन करूँगा।
- झ) कि मैं उसी रसोई में कोई अन्य एलपीजी गैस सिलेंडर स्थापित नहीं रखूँगा।
- ज्ञ) जब कभी मुझे इस कनेक्शन के लिए दूसरा सिलेंडर जारी किया जाएगा तो उसका उपयोग उसी रसोई में और मूल संस्थापन के साथ करूँगा।
- श्र) जब भी मैं अपने निवास वर्षमान पते से दूसरे पते पर या अपना मोबाइल नंबर बदलूँगा, मैं मैसेस को सूचित करूँगा.....वितरक/आरजीजीएलवी का नाम) लिखित रूप में पता/मोबाइल नंबर बदलने की अग्रिम सूचना द्यूँगा।
- प) मुझे पता है कि घरेलू सब्सिंही वाले एलपीजी कनेक्शन मैसेस द्वारा जारी किया जाएगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसीएल)/भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसीएल)/हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (एचपीसीएल) इस घोषणा और मेरे द्वारा इस में प्रस्तुत जानकारी के आधार पर एवं ग्राहक को जानिए (फैकाईसी) फॉर्म, पते का प्रमाण और पहान का प्रमाण, बाद में किसी भी सरकार के साथ किसी अन्य घरेलू सब्सिंही वाले एलपीजी कनेक्शन के अस्तित्व के लिए डी-डुल्टीकेशन जांच के अधीन होना चाहिए। तेल कंपनी, मेरे नाम पर या 'परिवार' के किसी अन्य सदस्य के नाम पर।
- फ) यह कि यदि इस घोषणात्र में मेरे द्वारा दी गई कोई सूचना/घोषणा, 'केवाईसी' फॉर्म या पहचान/निवास प्रमाण के समर्थन में प्रस्तुत कोई दस्तावेज असत्य या गलत पाया जाता है, तो तेल कंपनी को आपूर्ति वापस लेने का अधिकार होगा। गैस/कनेक्शन समाप्त करें/हॉट प्लेट सहित उपकरणों को जलत करें/सुरक्षा जमा जलत करें, पहली रिफिल की लागत और प्राप्त सब्सिंही की वसूली करें और यह कि इस तरह की निकारी/समाप्ति/जब्ती/वसूली के लिए आईओसीएल/बीपीसीएल/एचपीसीएल के खिलाफ मेरा कोई दावा नहीं होगा।
- ग) मैं और मेरे परिवार के सदस्य स्वेच्छा से और जानते हुए एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने के लिए ओपरेटर की साथ आधार संख्या और आधार दस्तावेज साझा कर रहे हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

दिनांक: स्थान:

नाम:

जिस श्रेणी में आवेदक आवेदन कर रहा है और अपने दस्तावेज जमा कर रहा है, उसके आधार पर डीलर/वितरक द्वारा भरा जाना है।

f)	उस श्रेणी का चयन करें जिसमें आवेदक प्राप्त यूवाई के तहत गैस कनेक्शन के लिए आवेदन कर रहा है	आवेदक ने श्रेणी में आवेदन किया (बॉक्स को चिह्नित करें)	दस्तावेज सं.	दस्तावेज जारी करने की तिथि (dd/mm/yy)	जारी करने का स्थान
01	अनुसूचित जाति				
02	अनुसूचित जनजाति				
03	पीएमएवाई				
04	अति पिछड़ा वर्ग				
05	अंत्योदय अन्न योजना (एव्वाई)				
06	चाय जनजाति और पूर्व चाय जनजाति				
07	वनवासी				
08	नन्दी के द्वीप				
09	एसईसीसी एचएच (एचएल-टिन) ^g				लागू नहीं
10	14 सूनीय घोषणा के अनुसार गरीब एचएच				लागू नहीं

^g(एचएल टिन नंबर एसईसीसी सूची में अंकित है जो परिवार में एक व्यक्ति से संबंधित है)

* मैं पुष्टि करता हूँ कि उपरोक्त दस्तावेजों की फोटोकॉपी को उनके मूल के साथ सत्यापित किया गया है।

एलपीजी आईडी (यदि आवंटित हो):

वितरक के हस्ताक्षर

दिनांक: स्थान:

पावती पर्ची

उज्जवला आवेदन प्राप्त किया (नाम) स्थान

दस्तावेज सं.

राशन कार्ड नंबर / कोई अन्य राज्य विशिष्ट दस्तावेज संख्या जो परिवार के सदस्यों के विवरण को प्रमाणित करता हो

दिनांक:

वितरक के हस्ताक्षर और मुहर